

 क.रा.बी.नि. E.S.I.C.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)	 सत्यमेव जयते	मुख्यालय/Headquarters पंचदीप भवन] सीआईजी मार्ग] नई दिल्ली-110002 Panchdeep Bhawan, CIG Marg, New Delhi- 110002 Email: dpc-medhq@esic.nic.in Website: www.esic.nic.in / www.esic.in
--	---	--	---

A-33013/7/2023-DPC(M)

Date: 02/01/2025

कार्यालय आदेश संख्या - 01/2025

विभागीय पदोन्नति समिति (D.P.C.) की अनुशंसा के आधार पर, अध्यक्ष, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने होम्योपैथी उप संवर्ग में वेतनमान लेवल-11 में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) पद पर कार्यरत निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को वेतनमान लेवल-12 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) पद पर, दर्शाई गई तिथियों के अनुसार पदोन्नति (डी.ए.सी.पी. योजना, निगम के भर्ती विनियमों आदि के अंतर्गत) के आदेश दिए हैं:-

On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, Chairman, Employees' State Insurance Corporation has ordered the promotion of the following Medical officers in Homeopathy Sub-cadre working as Senior Medical Officer in level 11 of pay matrix to the post of Chief Medical Officer in level 12 of pay matrix (under DACP Scheme, Recruitment Regulations of ESIC etc.) from the date(s) shown against their names:

संख्या (S. No.)	पहचान संख्या (ID Number)	चिकित्सा अधिकारी का नाम (Name of the Medical Officer)	तैनाती स्थान (Place of posting)	पदोन्नति तिथि (Date of Promotion)
1	121435	Dr. Savita Choudhary	ESICH, Okhla	16/07/2022
2	111654	Dr. Shweta Sachdeva	ESICH, Jhilmil	16/07/2022
3	111530	Dr. Sulochana Yadav	D(M)D	16/07/2022
4	122437	Dr. Gulshan Kumar Verma	ESICH, Rohini	16/07/2022
5	111656	Dr. Aarushi Dua	D(M)D	16/07/2022
6	146243	Dr. Neha Talwar	D(M)D	16/07/2022
7	144749	Dr. Mansi Bhagat	ESICMH, Basaidarapur	16/07/2022
8	122000	Dr. Seema	D(M)D	16/07/2022
9	121781	Dr. Kaushik Bhattacharya	ESICMH, Joka	16/07/2022
10.	121757	Dr. Spandana Kasavar	D(M)D	16/07/2022
11.	121769	Dr. Manuj Gupta	D(M), Noida	16/07/2022
12.	123018	Dr. Madhusudhan Reddy	ESICMH, Noida	16/07/2022

It may be noted: -

1. होम्योपैथी उप संवर्ग में वे चिकित्सा अधिकारी, जो पदोन्नति की तारीख पर नियमित छुट्टी/ अध्ययन छुट्टी/प्रतिनियुक्ति/बाह्य कार्य इत्यादि पर होने के समय उच्चतर स्केल में पदोन्नत हुए हैं, के मामले में, वास्तविक पदोन्नति उनके कार्यग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी तथा उनके लौटने तक उन्हें कल्पित पदोन्नत किया जाएगा।

In the event of a Medical Officer in Homeopathy Sub-cadre who is promoted in the higher scale, being on regular leave / study leave / deputation / foreign assignment etc. on the date of promotion, the actual promotion shall take effect from the date she/he assumes charge and notional promotion from the date of promotion.

2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के पद के लिए आरआर को 16 जुलाई, 2022 को अधिसूचित किया गया है, और तदनुसार नियमित सेवा पूरी करने वाले मामलों के संबंध में आरआर के प्रकाशन की तारीख यानी 16 जुलाई, 2022 से पदोन्नति के लिए उपर्युक्त का आकलन किया जाएगा, जो कि राजपत्र में आरआर के प्रकाशन की तारीख से या उससे पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (होम्योपैथी) के रूप में 5 साल की नियमित सेवा पूरी की जा चुकी है।

RRs for the post of Chief Medical Officer (Homeopathy) has been notified on 16th July, 2022, and accordingly suitability for promotion has been assessed on the date of publication of the RR i.e. from 16th July, 2022 in respect of cases who have completed minimum regular service criteria of 5 years as Chief Medical Officer (Homeopathy) on or before the date of Publication of RRs in the official gazette.

3. चिकित्सा अधिकारियों के वर्तमान तैनाती स्थान के नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि पदोन्नत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकाारी (होम्योपैथी) द्वारा चिकित्सा आधार/अध्ययन के प्रयोजन के अतिरिक्त उपभोग की गई असाधारण छुट्टी की अवधि को छोड़ कर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) से (होम्योपैथी उप संवर्ग) में कुल 05 वर्षों की नियमित सेवा पूरी की जा चुकी है। इसका विवरण मुख्यालय को भी सूचित किया जाएगा।

The controlling officer of the promoted Chief Medical Officers (Homeopathy) (at the present place of posting) shall ensure that the Medical Officer has completed total 05 years' service at the SMO (Homeopathy) in Homeopathy sub cadre after excluding the non-qualifying service period (if any) on account of dies non and EOL availed other than on Medical Grounds/ Study purposes. The details of such cases shall also be reported to ESIC Hqrs.

4. उपर्युक्त पदोन्नत मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (होम्योपैथी) का वेतन सामान्य वेतन नियमावली और प्रतिमानकों में वर्णित एफआर 22(I)(ए)(1) के अंतर्गत नियत किया जाएगा तथा पदोन्नत अधिकारी पदोन्नति आदेश की तिथि के एक माह के अन्दर वेतन नियतन के सम्बन्ध में अपना विकल्प प्रस्तुत करेंगे।

The pay of the aforesaid Promoted Chief Medical Officers (Homeopathy) will be fixed as per the provisions of FR22(I)(a)(1) and they shall exercise their option for fixation within one month from the date of promotion order.

5. पदोन्नत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) की उक्त सूची केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के पद पर पदोन्नति आदेश है तथा किसी भी मामले में वरिष्ठता सूची नहीं है।

The said list of promoted senior medical officers (Homeopathy) is only promotion order to the post of Chief Medical Officer (Homeopathy) and not seniority list in any case.

6. यह पदोन्नति समय-समय पर संशोधित क.रा.बी.निगम (कर्मचारीवृद्ध एवं सेवा की शर्तों) विनियमावली, 2023 में निर्धारित नियम और शर्तों के अधीन होगी।

The promotion will be subject to such terms and conditions as laid down in ESI Corporation (Staff & Conditions of Service) Regulations, 2023, as amended from time to time.

7. ज्वाइनिंग रिपोर्ट सभी संबंधितों को एक प्रति के साथ med4-hq@esic.nic.in med6-hq@esic.nic.in एवं dpc-medhq@esic.nic.in पर भेजी जायें।

Joining Report may be sent to all concerned with a copy to med4-hq@esic.nic.in med6-hq@esic.nic.in & dpc-hq@esic.nic.in

(राजेश प्रसाद गुप्ता)
सहा. निदेशक (विभागीय पदोन्नति प्रकोष्ठ)
(चिकित्सा प्रशासन)

प्रतिलिपि :-

1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उनके नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से।
2. संबंधित चिकित्सा अधीक्षक/डीन, क.रा.बी.निगम अस्पताल/मेडिकल कॉलेज ।
3. संबंधित आंचलिक चिकित्सा/बीमा आयुक्त
4. बीमा आयुक्त (एन. टी. ए.)
5. संयुक्त निदेशक (वित्त)/उप निदेशक(वित्त) संबंधित,क.रा.बी.निगम अस्पताल।
6. चिकित्सा शाखा-IV/ चिकित्सा शाखा-VI
7. गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रतियां।
8. वेबसाइट कंटेन्ट मैनेजर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।